



Neutral Citation-2026: AHC:21276

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3333 वर्ष 2026

माया देवीयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 12 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमन श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे केस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 3296/2020 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202015060403296) (माया देवी बनाम बज्जू और अन्य) का शीघ्रता से निपटारा करें।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ उपर्युक्त मामले का निपटारा विधि के अनुसार सख्ती से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"